



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार


Health , Medical Education and Family Welfare Department

चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 9-B-11-17/2022/174(9)B

दिनांक - 18-May-2026

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 20 42100111045010545 4210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय 01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं 110 - अस्पताल तथा औषधालय 45 - मेडिकल कॉलेजे एवं 500 शय्या वाले अस्पताले - आधार भूत संरचना 01-मेडिकल कॉलेज और 500 बिस्तर वाले अस्पताल. नवीनीकरण और मरम्मत सहित बुनियादी ढांचा का निर्माण, ड्रम, मशीन उपकरण, फर्नीचर, पेशियर्स की पूर्ति आदि की खरीद। State Scheme State Scheme : MEDICAL COLLEGES & 500 BEDDED HOSPITALS-ESTABLISHMENT COST, STIPEND ETC.(1674) Central Scheme : NA	21983	RNCMED013 PRABHAT KUMAR C.S.CUM C.M.O.RANCHI	1,000,000,000.00 रुपये एक अरब



योग: रुपये एक अरब 1,000,000,000.00

क्रमिक योग:

(A.J.O.) KUMAR SINGH
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY

तीय वर्ष 2026-27 में आवंटित राशि की विवरणी :-

माँग सं० - 20 स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग


मुख्य शीर्ष-4210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय & 01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं & 110 - अस्पताल तथा औषधालय & 45 -

मेडिकल कॉलेजे एवं 500 शय्या वाले अस्पताले - आधार भूत संरचना

SI No	TREASURY	DDO CODE	DDO NAME	DDO DESG	20S42100111045010545	Total
					निर्माण कार्य	
1	2	3	4	5	6	7
1	Ranchi	RNCMED013	Prabhat Kumar	C.S.Cum C.M.O.Ranchi	₹1,00,00,00,000.00 (21983)	₹1,00,00,00,000.00

कुल आवंटित राशि :- ₹1,00,00,00,000.00 (एक अरब) रूपये मात्र ।

टिप्पणी :- (#) को आवंटन एक्सेस नंबर समझा जाए


(AJOY KUMAR SINGH)
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

सिविल सर्जन,
राँची।

राँची, दिनांक:- 18/05/26

विषय: वित्तीय वर्ष-2026-27 में राज्य योजना अन्तर्गत हजारीबाग मेडिकल कॉलेज हेतु 500 शय्यावाले अस्पताल भवन का निर्माण एवं पलामू मेडिकल कॉलेज, हेतु 500 शय्यावाले अस्पताल भवन का निर्माण की योजना के लिए कुल-1,00,00,00,000/- (एक अरब) रुपए मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-171(6)ब दिनांक-14.12.2017 एवं शुद्धि पत्र संख्या-159(9)ब दिनांक-27.03.2024 के क्रम में राज्य योजना अन्तर्गत हजारीबाग मेडिकल कॉलेज हेतु 500 शय्यावाले अस्पताल भवन का निर्माण एवं पलामू मेडिकल कॉलेज, हेतु 500 शय्यावाले अस्पताल भवन का निर्माण की योजना के लिए कुल-1,00,00,00,000/- (एक अरब) रुपए मात्र की राशि निम्नवत् आवंटित की जाती है:-

योजना का नाम	मूल प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश सं० एवं तिथि	योजना की मूल प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	अब तक आवंटित राशि	वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु वर्तमान आवंटन
हजारीबाग मेडिकल कॉलेज हेतु 500 शय्यावाले अस्पताल भवन का निर्माण	171(6)ब 14.12.17	509,13,78,300	3,35,86,48,061	50,00,00,000
पलामू मेडिकल कॉलेज, हेतु 500 शय्यावाले अस्पताल भवन का निर्माण	171(6)ब 14.12.17	481,27,84,700	3,21,80,63,716	50,00,00,000
			कुल	1,00,00,00,000

- इस योजना के क्रियान्वयन हेतु उपर्युक्त राज्यादेश द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके आधार पर योजना का क्रियान्वयन नियमानुसार कराया जाएगा।
- इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सिविल सर्जन, राँची होंगे जो राशि का पुस्तान्तरण प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची के पी०एल० खाता-मुख्य शीर्ष-8448-स्थानीय निधि जमा-120-अन्य निधियों में करेंगे। इसके नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे।
- राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561, दिनांक-17.04.1998 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों के अधीन संबंधित कोषागार से की जाएगी।
- कार्य में किसी भी प्रकार की बढ़ोत्तरी बिना राज्य सरकार के अनुमोदन प्राप्त किए नहीं किया जाएगा।
- राज्य योजना अन्तर्गत योजना पर होने वाले व्यय का विकलन बजट मुख्य शीर्ष -4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय -01- शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-110- अस्पताल तथा औषधालय- 45- मेडिकल कॉलेज एवं 500 शय्यावाले अस्पताले- आधारभूत संरचना-01- मेडिकल कॉलेज और 500 बिस्तर वाले अस्पताल, नवीनीकरण और मरम्मत सहित बुनियादी ढांचा का निर्माण, ड्रग्स, मशीन उपकरण, फर्नीचर, मैटेरियल्स आपूर्ति आदि की खरीद-05- निर्माण -45- निर्माण कार्य (विपत्र कोड 20एस 42100111045010545) में उपबंधित राशि से होगा।

(आनन्द कुमार सिन्हा)
अवर सचिव।

(ललित मोहन शुक्ला)
संयुक्त सचिव।

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

7. व्यय किसी भी परिस्थिति में प्रशासनिक स्वीकृत राशि के अन्तर्गत किया जाएगा तथा योजना कार्य स्वीकृत राशि के अनुरूप पूर्ण राशि आवंटन के छह माह के अन्दर पूर्ण कर लिया जाएगा। दायित्वों का सृजन बिना सरकारी आदेश प्राप्त किए नहीं किया जाएगा। भवन निर्माण निगम के संबंधित मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता योजना की वित्तीय/भौतिक समीक्षा करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
8. झारखण्ड वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम-473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन भवन निर्माण निगम के संबंधित अभियंता का दायित्व होगा।
9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार, झारखण्ड, राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं कार्य एजेन्सी द्वारा योजना का ऑनलाईन प्रगति प्रतिवेदन (वित्तीय एवं भौतिक) प्रत्येक माह के 10वीं तारीख तक विभाग को अवश्यमेव उपलब्ध कराया जाएगा।
10. कार्य की सही गुणवत्ता के लिये भवन निर्माण निगम के संबंधित अभियंता जिम्मेवार होंगे। अभियंताओं द्वारा नियमित रूप से कार्य का निरीक्षण किया जाएगा।
11. कार्य की सही गुणवत्ता एवं प्रगति का मूल्यांकन इस उद्देश्य से विभाग द्वारा चयनित Third Party Quality Evaluation एजेन्सी से कराना सुनिश्चित करते हुए उसका प्रतिवेदन नियमित रूप से प्राप्त किया जाएगा।
12. विगत वित्तीय वर्षों में इस योजना हेतु उपलब्ध कराई गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र/व्यय विवरणी कोषागार को समर्पित करने के उपरान्त ही इस राशि की निकासी की जाएगी।

विश्वासभाजन

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।
18/05/26

ज्ञाप संख्या:- 9/बजट/11-17/2022 174(9) राँची, दिनांक: 18/05/26
प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, झारखण्ड/संबंधित उपायुक्त/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड, राँची/प्राचार्य/अधीक्षक, संबंधित मेडिकल कॉलेज अस्पताल, झारखण्ड/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, स्वास्थ्य/संबंधित प्रशाखा के प्रभारी पदा/विभागीय पी0एम0यू0 कोषांग/योजना बजट प्रशाखा के कम्प्यूटर सहायक, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची/संबंधित सिविल सर्जन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आनन्द कुमार सिन्हा)
अवर सचिव।

(ललित मोहन शुक्ला)
संयुक्त सचिव।

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।